

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 10 नवम्बर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में राज्य के द्वितीय चरण से संबंधित 20 जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दलों को ई०वी०एम० वितरण

मतदान दलों को ई०वी०एम० वितरण (Dispersal) का कार्य मतदान की तिथि से एक दिन पूर्व किया जाता है। ई०वी०एम० वितरण हेतु स्ट्रॉंग रूम खोले जाने एवं वितरण कार्य के दौरान उपस्थित रहने हेतु अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को पूर्व से लिखित रूप से सूचित किया जाता है। साथ ही इस दौरान मतदान दलों को रैण्डमाईजेशन के माध्यम से टैग किये गये मतदान केन्द्रों के लिए ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट उपलब्ध कराया जाता है। मतदान दलों द्वारा ई०वी०एम० प्राप्ति के समय जाँच पड़ताल कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपलब्ध कराये गये BU, CU & VVPAT उनके मतदान केन्द्र से संबंधित है। साथ ही सुरक्षित रखी गयी मशीनें आवश्यकतानुसार Replacement के लिए (यदि मतदान केन्द्र पर मशीनें खराब हो जाती हैं) सेक्टर पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाता है। आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक भी इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग के Manual on Electronic Voting Machine में वर्णित है। जो आयोग के वेबसाइट <https://www.eci.gov.in/evm-vvpat> पर उपलब्ध है।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में आज दिनांक 10.11.2025 को द्वितीय चरण से संबंधित राज्य के 20 जिलों यथा पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सितामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया जी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर के कुल 122 विधानसभा क्षेत्रों में दिनांक 11.11.2025 को होने वाले मतदान हेतु सभी मतदान दलों एवं सेक्टर पदाधिकारियों को अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं प्रेक्षक की उपस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्ट्रॉंग रूम खोलते हुए ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का वितरण का कार्य किया गया।

मतदान दलों/सेक्टर पदाधिकारियों द्वारा जिन वाहनों के माध्यम से ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का परिवहन किया जा रहा है, उनके वाहनों में लगाये गये GPS उपकरण अथवा Ele Traces मोबाईल ऐप के माध्यम से उनके मूवमेंट ट्रैकिंग की व्यवस्था की गयी है। मतदान के उपरांत उक्त ई०वी०एम० में से मतदान में उपयोग किये गये मशीनों को अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं प्रेक्षक की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जिले के Polled EVM Strong Room में भंडारित किया जाएगा। साथ ही जो मशीनें खराब पायी जाएगी उन्हें Polled EVM Strong Room से अलग स्थित चिन्हित वेयरहाउस में भंडारित किया जाएगा।